Form No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

कुसुम देवी पत्नी राजाराम कुम्हार (प्रजापति) — प्रार्थीया	बनाम	महावीर पिता लादूलाल तेली वगैरहा — विपक्षीगण

किस्मा मुकदमा	राजस्व प्रार्थना पत्र	नं0	368	सन्	2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/7/25	राजस्व स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री जयप्रकाश शर्मा हाजिर होकर अंतरिम बहस हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार कर अंतरिम बहस करने का आदेश दिया गया, जिस पर अधिवक्ता द्वारा अंतरिम बहस प्रार्थना–पत्र की गई। मेंनें अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को एक तरफा सुना। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 4/4 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि स्थित है उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया की शामलाती खाते की कृषि भूमि है। उक्त वादग्रस्त भूमि के दक्षिणी पूर्वी कोने पर प्रार्थीया द्वारा मकान निर्मित कराया हुआ होकर उपयोग–उपभोग किया जा रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजियात के दक्षिणी–पूर्वी कोने से सटा हुआ भू–भाग आराजी संख्या 16/8 व 16/1 है जो विपक्षी संख्या 01 व 02 के शामलाती खाते की औद्योगिक भूमि है। उक्त आराजी भू–भाग के लिए मौके पर विपक्षी संख्या–01 व 02 ने नपती करवाई गई तो खसरा संख्या–16/8 का आशिक भू–भाग प्रार्थीया के शामलाती खाते की कृषि भूमि खसरा संख्या–4/4 में सम्मिलित होना बताया गया जो त्रुटिपूर्ण है। क्योकि जिस स्थान को खसरा संख्या–16/8 की भूमि को दक्षिणी पूर्वी कोने में सम्मिलित होना कहा गया उस स्थान पर प्रार्थीया ने मकान निर्माण करा उसका उपयोग उपभोग किया जा रहा है तथा उक्त आराजी से सटा हुआ भाग आराजी खसरा संख्या–16/8 जो औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज होकर विपक्षी संख्या–01 व 02 के खाते में अभिलिखित है। विपक्षी संख्या–01 व 02 ने खसरा संख्या–16/8 औद्योगिक प्रयोजनार्थ की नपती राजस्व कार्मिको से कराई जाकर खसरा संख्या–16/8 व 16/1 का आंशिक भू–भाग प्रार्थीया के शामलाती खाते की खसरा संख्या–4/4 के दक्षिणी पूर्वी कोने में सम्मिलित होना बताकर विपक्षी संख्या–01 व 02 प्रार्थीया के शामलाती खाते में अंकित कृषि भूमि के दक्षिणी पूर्वी कोने पर निर्मित मकान को हड़पने पर आमादा है। इसलिये विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीया के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जाना आवश्यक है कि विपक्षी संख्या 01 व 02 कि ग्राम आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 4/4 रकबा 0.8094 हैक्टेयर में प्रार्थीया के उपयोग–उपभोग व काश्त करनें में विपक्षी संख्या 01 व 02 किसी प्रकार की बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करे, मौके से बेदखल नहीं करें, मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। मेंनें वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का अवलोकन किया। दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। मनन किया। प्रार्थीया की शामलाती भूमि होने से प्रार्थीया का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में है। विपक्षी संख्या 01 व 02 के द्वारा वादग्रस्त आराजियात से जबरन बेदखल कर देंगें तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी।	

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

मेनें वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर निवेदन को एक तरफा अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 4/4 रकबा 0.8094 हैक्टेयर एवं विपक्षी संख्या 01 व 02 की आराजी नम्बर 16/8 व 16/1 के सम्बन्ध में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक 13/8/2025 तक इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्ष वादग्रस्त उपरोक्त आराजी में अपने-अपने हक हिस्से की भूमि के उपयोग–उपभोग व काश्त करनें किसी प्रकार से एक दूसरे के प्रति बेजा–दखलन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें, न ही किसी अन्य से करावें, मौके पर से बेदखल नहीं करे, मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखें। रजिस्टर्ड ए0डी0 प्रोसेस सम्मन पेश करने पर जारी करें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 13/8/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

13/8/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्यामलाल गुर्जर का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। विपक्षीगण संख्या 3 से लगायत 16 के सम्मन नोटिस रजिस्टर्ड AD पेश करें। पेश करने पर जारी किये जावे। पत्रावली विपक्षी सं. 1 व 2 के जवाब एवं विपक्षीगण संख्या 3 से लगायत 16 की तलबी हेतु दिनांक 26/8/25 को पेश हो।

26.08.25 पत्रावली पेश हुई। [illegible] व रीडर उपस्थित नहीं। पत्रावली साबिक आदेश में दिनांक 08.09.25 को पेश हो।

08.9.25 पत्रावली पेश। प्रार्थीया व प्रार्थीया अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थीया व प्रार्थीया अधिवक्ता को तीन बार आवाज लगायी गयी। परन्तु उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण प्रार्थीया की अदम हाजरी व प्रार्थीया अधिवक्ता की अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा